

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 16, शनिवार, शाके 1947- मार्च 07, 2026 Phalguna 16, Saturday, Saka 1947- March 07, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

अधिसूचना

उदयपुर, फरवरी 05, 2026

संख्या F.32(B)(After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219-part(1)-9060085/681 :-राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2026 दिनांक 27जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29में संशोधन के बिन्दु संख्या 3.7.2 के प्रावधानुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों के तहत ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा /राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की निम्नांकित श्रेणियों का वर्ष 2026-27 के लिये थोक निर्गम मूल्य का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क्र.सं	ENA निर्मित मदिरा की किस्म	पक्वों (180 एम.एल.) के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रूपये में)
1	देशी मदिरा 40 यूपी- ग्लास	695
2	देशी मदिरा 40 यूपी- पेट	630
3	देशी मदिरा 40 यूपी- एसेप्टिक पैक	667
4	देशी मदिरा 50 यूपी- पेट	584
5	देशी मदिरा 50 यूपी- एसेप्टिक पैक	586
6	देशी मदिरा 60 यूपी- पेट	422
7	देशी मदिरा 60 यूपी- एसेप्टिक पैक	422
8	राजस्थान निर्मित मदिरा, 25 यूपी- ग्लास	816
9	राजस्थान निर्मित मदिरा, 25 यूपी- पेट	728
10	राजस्थान निर्मित मदिरा 25 यूपी-एसेप्टिक पैक	794

- उक्त अधिसूचना 01.04.2026 से प्रभावी रहेगी।

शिवप्रसाद नकाते,
आबकारी आयुक्त, राजस्थान।

22807

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।